| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>हरीचन्द मेहता बनाम लो.सू.अ. ( उपखण्ड अधिकारी जोधपुर व अन्य )<br>सू.अ.अ. अपील संख्या 96 / 2019 | नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 15.07.19 | पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हरीचन्द मेहता पता दफ्तरियों का बास, खापटा मोती चौक, वार्ड नं. 38, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.04.2019 में उसके द्वारा (1) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर आवेदन का प्रारूप एवं सम्पूर्ण जानकारी की आवेदक को किस प्रारूप पर किस सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाना है और आवेदन के साथ कौन कौन से फार्म लगाने है व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा तहसीलदार जोधपुर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित किया गया। उपखण्ड अधिकारी जोधपुर एवं तहसीलदार जोधपुर द्वारा पूरी सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( उपखण्ड अधिकारी जोधपुर एवं तहसीलदार जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.( उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई तथा तहसीलदार जोधपुर से जरिये पत्रांक 278 दिनांक 17.06.19 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि इस कार्यालय से संधित सूचना प्रार्थी को जरिये पत्रांक 235 दिनांक 24.05.19 के द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है तथा शेष सूचना उपखण्ड अधिकारी महोदय जोधपुर के कार्यालय से संबंधित होने के कारण इनका प्रार्थना पत्र जरिये पत्रांक 208 दिनांक 26.04.19 के द्वारा धारा 6(3) के तहत स्थानान्तरित कर दिया गया।<br>अपील के साथ संलग्न दस्तावेज के अनुसार उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा बिन्दुवार सूचना प्रार्थी को जरिये पत्रांक 218 दिनांक 20.05.19 के जरिये प्रेषित की जा चुकी है। अपीलार्थी ने अपील में मुख्य रूप से **उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये आवेदन पत्र की सम्पूर्ण पत्रावली 'उपलब्ध नहीं कराने और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आय और सम्पति प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकतम समय सीमा की जानकारी नहीं देना कहा।**<br>अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये आवेदन पत्र की सम्पूर्ण पत्रावली उपलब्ध नहीं कराने और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार<br>लगातार.... | |

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आय और सम्पति प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकतम समय सीमा की जानकारी प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।